



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15971

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या - 628 सन् 2026

मोहन लाल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राजेश कुमार वर्मा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. हमने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री राजेश कुमार वर्मा और राज्य के अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पी.के. श्रीवास्तव की दलीलें सुनीं।
2. याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें वर्ष 1995 में मेठ के पद पर नियुक्त किया गया था और 15.10.1997 को उन्हें नियमित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनकी जन्मतिथि 20.11.1975 है, हालांकि अभिलेख में इसे गलती से 20.11.1965 दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, वे 30.11.2025 को सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन जब उन्हें गलत तिथि का पता चला (जो कि सेवा पुस्तिका में दर्ज है), तब याचिकाकर्ता ने जन्मतिथि में सुधार के लिए याचिका दायर करते हुए इस न्यायालय से संपर्क किया।
3. विद्वान अतिरिक्त सीएससी ने निवेदन किया कि सेवानिवृत्ति के अंतिम समय में या सेवानिवृत्ति के बाद जन्मतिथि में सुधार नहीं किया जा सकता है।
4. मैंने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।
5. तथ्य आक्षेपित नहीं हैं। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1995 में मेठ के पद पर नियुक्त किया गया था और वे 30.11.2025 को सेवानिवृत्त हुए थे। न्यायालय की राय में, याचिकाकर्ता को अपनी जन्मतिथि 20.11.1975 (न कि 20.11.1965) के बारे में जानकारी और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ज्ञान होना चाहिए था, लेकिन अब, अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर, एक नई पारी शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता को संशोधित जन्मतिथि से क्यों प्रस्तुत किया गया। **हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम एस.एम. जाधव (2001) लॉ सूट (एससी) 504** में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:

"यह स्थापित कानून है कि करियर के अंतिम पड़ाव पर, किसी पक्ष को अपनी जन्मतिथि के संबंध में विवाद उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

6. तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

21 जनवरी, 2026

राजेश